फर्द अहकाम
(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना, जिला श्रीगंगानगर

सोनादेवी बनाम माड़ोदेवी वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा –251–क
प्रा0 पत्र संख्या :– 46 / 2025
GCMS संख्या :– 2025 / 196

18.07.2025 प्रार्थीया सोनादेवी पत्नी बृजलाल जाति बावरी साकिन श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया के नाम तहसील घड़साना के चक 2 एसटीवाई के प0 नं0 89/44 मु0 नं0 107 के किला नं0 12 ता 25 की कुल 3.542 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि है। प्रार्थीया को उक्त रकबा की काश्त आदि करने के लिए कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है तथा प0 नं0 89/44 मु0 नं0 107 के किला नं0 1 ता 11 कुल 2.783 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि माड़ोदेवी पत्नी खिराज जाति नायक के नाम है जिसमें किला नं0 1, 10, 11 प्रत्येक का 0.046 है0 भूमि वास्ते रास्ता प्रार्थीया स्वीकृत करवाना चाहती है जिसमें माड़ोदेवी सहमत व रजामन्द है। अतः निवेदन है कि उक्त आशय के आदेश दिये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर तहसील घड़साना से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार घड़साना से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/2025/2018 दिनांक 18.07.2025 के अनुसार चक 2 एसटीवाई के प0 नं0 89/44 मु0 नं0 107 के किला नं0 1 ता 11 रकबा 2.783 है0 अ0क0 माड़ोदेवी पत्नी खिराज जाति नायक साकिन 10 एलएनपी तहसील श्रीगंगानगर खातेदार एवं चक 2 एसटीवाई के प0 नं0 89/44 मु0 नं0 107 के किला नं0 12 ता 25 की 3.542 है0 अ0क0 सोनादेवी पत्नी बृजलाल जाति बावरी साकिन श्यामगढ़ खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीया माड़ोदेवी पत्नी खिराज नायक साकिन 10 एलएनपी तहसील श्रीगंगानगर खातेदार ने सहमति का शपथपत्र प्रस्तुत कर प0 नं0 89/44 के किला नं0 1, 10, 11 प्रत्येक में 0.046 है0 रास्ता देना स्वीकार किया है। अतः सहमति का शपथपत्र संलग्न कर उचित आदेशार्थ प्रस्तुत है।

पक्षकारान को सुनागया एवं पत्रावली तथा तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चक 2 एसटीवाई के प0 नं0 89/44 मु0 नं0 107 के किला नं0 1, 10, 11 प्रत्येक के 0.046 है0 रकबा जो अप्रार्थीया माड़ोदेवी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है को रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु अप्रार्थीया सहमत है एवं अपना शपथपत्र पेश किया है। प्रार्थीया को अपने खेत में जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः अप्रार्थीया के शपथपत्र एवं सहमति के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता स्वीकृत करने का स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना